

राजस्थान सरकार
वित्त (कोष एवं लेखा) विभाग

क्रमांक: एफ.5(थ-75)डीटीए/IFMS 3.0/WAM-21/ 5937 दिनांक 03/01/2025

विभागाध्यक्ष
समस्त विभाग।

विषय:- आई.एफ.एम.एस. 3.0 में विकसित निर्माण कार्यों हेतु जारी की जाने वाली वित्तीय स्वीकृति की प्रक्रिया के प्रशिक्षण के क्रम में।

संदर्भ:- वित्त (कोष एवं लेखा) विभाग का परिपत्र क्रमांक 5912 दिनांक 02.01.2025

महोदय,

आई.एफ.एम.एस. 3.0 के अन्तर्गत निर्माण कार्यों हेतु सभी विभागों द्वारा जारी की जाने वाली वित्तीय स्वीकृति की प्रक्रिया संदर्भित परिपत्र द्वारा दिनांक 02.01.2025 से लागू की जा चुकी है। उक्त प्रक्रिया का सभी विभागों हेतु आनलाईन प्रशिक्षण कार्यक्रम दिनांक 07.01.2025 को प्रातः 11:00 बजे से आयोजित किया जा रहा है। उक्त प्रशिक्षण का लिंक आई.एफ.एम.एस. 3.0 पर WAM Dashboard में Updates & annocuncement section में प्रदर्शित रहेगा।

कृपया आपके विभाग में पदस्थापित निर्माण कार्यों से संबंधित वित्तीय स्वीकृति जारी करने के कार्य से सम्बद्ध प्रतिनिधि अधिकारियों/कार्मिकों को उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने हेतु निर्देशित किये जाने का श्रम करावें।

भवदीय



(भूपेश माथुर)

निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक: एफ.5(थ-75)डीटीए/IFMS 3.0/WAM-21/5937 दिनांक 03/01/2025

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (वित्तीय नियम) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-I,II,III,IV,V) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. वित्तीय सलाहकार, समस्त विभाग।
5. वरिष्ठ निदेशक (आई.टी.) (वॉम) एन.आई.सी., LIC भवन, जयपुर।
6. संयुक्त निदेशक (कम्प्यूटर सैल), वित्त विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को साईट पर अपलोड किए जाने हेतु।
7. प्रमुख प्रोजेक्ट मैनेजर, PMU-PWC/Oracle को प्रशिक्षण की व्यवस्था कर एवं प्रशिक्षण दिए जाने हेतु।

अतिरिक्त निदेशक एवं पदेन
परियोजना निदेशक (IFMS)